

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 388

19 जुलाई 2022 को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारिता समितियों का कामकाज

388: श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री श्याम सिंह यादव:
श्री प्रताप सिन्हा:
श्री के. सुधाकरन:
श्री जियसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
प्रो. सौगत राय:
श्री डी.एम. कथीर आनन्द:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले सहित पंजीकृत और संचालित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बहु-राज्य सहकारी समितियां कौन सी हैं और वे किस वर्ष में गठित हुईं;
- (ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाओं के साथ कृषि, कपड़ा, हस्तशिल्प, रियल्टी और अन्य बहु विविध क्षेत्रों से संबंधित कई बहु-राज्य, राष्ट्रव्यापी सहकारी समितियों के लिए एक साझा मुख्यालय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या इन राष्ट्रव्यापी सहकारी समितियों को अपने वित्तीय खातों और प्रशासनिक कार्यों को देश में कहीं से भी संचालित करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद राज्य-वार कितनी नई बहु-राज्य सहकारी समितियों को मंजूरी दी गई थी;
- (ङ) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि रिकॉर्ड में शामिल कई पंजीकृत समितियां कार्यशील नहीं हैं और यदि हां, तो ऐसी सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (च) सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का इरादा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

- (क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची अनुबंध-I में संलग्न है, जिसमें से 81 समितियां परिसमापन की प्रक्रिया में हैं तथा वर्ष-वार (2001 से 2021) पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची अनुबंध-II में संलग्न है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रामीण किसान विकास सेवा बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड नामक एक सहकारी समिति का पंजीकरण वर्ष 2013 में हुआ था ।
- (ख) और (ग) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी समिति के व्यवसाय का एक प्रमुख स्थान होगा जो समिति का पंजीकृत कार्यालय होगा । किसी समिति का पंजीकृत पता, जैसा कि उसके उप-विधियों में निर्दिष्ट होता है, देश में कहीं भी हो सकता है।
- (घ) सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात् पंजीकृत किए गए बहु-राज्य सहकारी समितियों की राज्य-वार सूची अनुबंध-III में संलग्न है ।
- (ङ) रिकॉर्ड के अनुसार, 81 बहु-राज्य सहकारी समितियां परिसमापन के अधीन हैं जिनमें परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।
- (च) जब कभी भी बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) में अनियमिता के मामले सामने आते हैं, तो बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अधीन बहु-राज्य सहकारी समितियों के निरीक्षण की शक्तियां सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयकों को प्रदान की गई है ।

30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों तथा परिसमापन के अधीन समितियों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	पंजीकृत समितियां	परिसमापन के तहत समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22	4
2	अरुणाचल प्रदेश	1	-
3	असम	6	-
4	बिहार	19	-
5	चंडीगढ़	1	1
6	छत्तीसगढ़	8	-
7	दादरा और नागर हवेली	1	-
8	गोवा	1	1
9	गुजरात	42	4
10	हरियाणा	17	-
11	हिमाचल प्रदेश	1	-
12	जम्मू और कश्मीर	2	-
13	झारखंड	8	1
14	कर्नाटक	29	-
15	केरल	25	-
16	मध्य प्रदेश	29	-
17	महाराष्ट्र	655	15
18	मणिपुर	3	-
19	नागालैंड	1	-
20	नई दिल्ली	159	10
21	ओडिशा	19	11
22	पॉन्डिचेरी	5	-
23	पंजाब	23	1
24	राजस्थान	72	15
25	सिक्किम	1	-
26	तमिल नाडु	123	4
27	तेलंगाना	8	-
28	उत्तर प्रदेश	154	9
29	उत्तराखंड	4	-
30	पश्चिम बंगाल	69	5
	कुल	1508	81

वर्ष-वार (2001 से 2021) पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची

क्रम सं.	वर्ष	पंजीकृत समितियां
1	2001	20
2	2002	15
3	2003	16
4	2004	35
5	2005	28
6	2006	15
7	2007	16
8	2008	31
9	2009	33
10	2010	54
11	2011	95
12	2012	247
13	2013	194
14	2014	250
15	2015	83
16	2016	19
17	2017	7
18	2018	8
19	2019	9
20	2020	10
21	2021	13

नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात्, 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्रम सं.	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	असम	-
4	बिहार	-
5	चंडीगढ़	-
6	छत्तीसगढ़	-
7	दादरा और नागर हवेली	-
8	गोवा	-
9	गुजरात	3
10	हरियाणा	1
11	हिमाचल प्रदेश	-
12	जम्मू और कश्मीर	1
13	झारखंड	-
14	कर्नाटक	-
15	केरल	4
16	मध्य प्रदेश	1
17	महाराष्ट्र	17
18	मणिपुर	2
19	नागालैंड	-
20	नई दिल्ली	2
21	ओडिशा	-
22	पॉन्डिचेरी	-
23	पंजाब	-
24	राजस्थान	-
25	सिक्किम	-
26	तमिल नाडु	1
27	तेलंगाना	1
28	उत्तर प्रदेश	5
29	उत्तराखंड	--
30	पश्चिम बंगाल	-
	कुल	39